

3/6/2022

पत्रावली पेश हुई। पार्थी व रबीला  
 पार्थी अनुपस्थित। बार-बार आवाज  
 दिलावायी जाने पर भी पार्थी की ओर  
 से कोई उपस्थित नहीं। अतः पार्थी  
 का प्रापण अदक हाजरी अदक परती  
 में खारिज किया जाता है। पत्रावली  
 फल शुभा होना नखासे फल  
 होना दाखल खारिज है।



(बृजेश कुमार)  
 उपखण्ड अधिकारी  
 नैमकाथाना (सीकर)